16/05/22

16/5/22

पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड अनुसार जादी व विवादित रेकर्डेड कृषिखातेदार है। जिनके व हकों का निर्धारण मूल वाद पत्र के तय होने हैं। वर्तमान में रेकर्डेड कृषिखातेदार के विरुद्ध स्थगन दिया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। लिहाजा जादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested